प्रश्न सं. [क्र. 1896]

परि02-(23)
प्र.क्र. 1896

आखेटक, मत्स्यिक जनसमूह और केवट भी हैं और ऐसी जीविका भूमि के अर्जन के कारण प्रभावित हुई है;

(v) ऐसे कुटुम्ब का कोई सदस्य है, जिसे राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा अपनी स्कीमों में से किसी के अधीन भूमि सौंपी गई है और ऐसी भूमि अर्जन के अध्ययीन है;

(vi) ऐसा कोई कुटुम्ब है, जो नगरीय क्षेत्रों में भूमि के अर्जन के पूर्व के पूर्ववर्ती तीन या उससे अधिक वर्ष तक किसी भूमि में निवास कर रहा है या जिसकी जीविका का मुख्य स्त्रोत, भूमि के अर्जन से तीन वर्ष पूर्व तक ऐसी भूमि के अर्जन से प्रभावित हुआ है;

(घ) "कृषि भूमि" से,-

(i) कृषि या उद्यान कृषि;

(ii) दुग्ध उद्योग, कुक्कट पालन उद्योग, मत्स्यपालन, रेशम उत्पादन, बीज की खेती, पशुधन का प्रजनन या नर्सरी में उगने वाली औषधीय जड़ी-बूटियों;

(iii) फसलों, वृक्षों, घास का बढ़ना या उद्यान उत्पाद; और

(iv) पशुओं के चरागाह,

के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई गई भूमि अभिप्रेत है;

(ङ) "समुचित सरकार" से, -

(i) किसी राज्य के राज्यक्षेत्र के भीतर स्थित भूमि के अर्जन के संबंध में, राज्य सरकार;

(ii) किसी संघ राज्यक्षेत्र (पुडुचेरी के सिवाय) के भीतर स्थित भूमि के अर्जन के संबंध में, केन्द्रीय सरकार;

(iii) पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र के भीतर स्थित भूमि के अर्जन के संबंध में पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र की सरकार;

(iv) एक से अधिक राज्यों में किसी लोक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के संबंध में, सम्बन्धित राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों के परामर्श से, केन्द्रीय सरकार; और

(v) संघ के ऐसे प्रयोजन के लिए, जो अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, भूमि के अर्जन के संबंध में, केन्द्रीय सरकार,

अभिप्रेत है:

परन्तु किसी जिले के कलक्टर को, उस क्षेत्र के लिए जो उस क्षेत्र से, जो समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, अधिक नहीं है, उस जिले में किसी लोक प्रयोजन के संबंध में समुचित सरकार समझा जाएगा;

(च) "प्राधिकरण" से धारा 51 के अधीन स्थापित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(छ) "कलक्टर" से राजस्व जिले का कलक्टर अभिप्रेत है, और इसके अन्तर्गत उपायुक्त तथा समुचित सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी कलक्टर के कृत्यों का पालन करने के लिए विशेष रूप से पदाभिहित कोई अधिकारी भी है;

(ज) "आयुक्त" से धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त अभिप्रेत है;

अनुभाग अधिकारी
म० प्र० शासन
राजस्व विभाग शाखा-2
मंत्रालय, भोपाल

परिशिष्ट-दो
पृ. क्र. 1896

अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 3 के खण्ड (थ) के उपखण्ड (दो) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह विनिर्दिष्ट करती है कि शब्द "भूमिहीन" का वही अर्थ होगा जो कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20, सन् 1959) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ठ) में उसके लिए समनुदेशित है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण तिवारी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. एफ 16-15-(3)-2014-सात-शा. 2ए.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(3)-2014-सात-शा. 2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण तिवारी, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 29th September 2014

No. F 16-15(3)-2014-VII-Sec. 2A.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (ii) of clause (q) of Section 3 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013), the State Government, hereby, specifies that the "landless" shall have the same meaning as assigned to it in clause (l) of sub-section (1) of Section 2 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959).

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
ARUN TIWARI, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. एफ 16-15-(10)-2014-सात-शा. 2ए.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 44 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, समस्त संभागायुक्तों को उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त के रूप में नियुक्त करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण तिवारी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. एफ 16-15-(10)-2014-सात-शा. 2ए.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(10)-2014-सात-शा. 2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण तिवारी, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 29th September 2014

No. F 16-15(10)-2014-VII-Sec. 2A.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 44 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013), the State Government, hereby, appoints all Divisional Commissioners as the Commissioner for Rehabilitation and Resettlement within their respective jurisdictions.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
ARUN TIWARI, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. एफ 16-15-(9)-2014-सात-शा. 2ए.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की प्रथम अनुसूची के अनुक्रमांक 2 के कालम 3 सहपठित धारा 30 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित करती है कि ग्रामीण क्षेत्रों की दशा में, वह कारक जिसके द्वारा बाजार मूल्य गुणित किया जाएगा, 1.00 (एक) होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण तिवारी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. एफ 16-15-(9)-2014-सात-शा. 2ए.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(9)-2014-सात-शा. 2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण तिवारी, प्रमुख सचिव.

अनुभाग अधिकारी
म0 प्र0 शासन
राजस्व विभाग शाखा-5
मंत्रालय, भोपाल